भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 4
(जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवंबर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक का सीसीआई पर प्रभाव

4. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:
श्री बी. के. पार्थसारथीः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक के संबंध में चल रही जांच से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के संसाधनों और मामलों की कार्य प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ने की संभावना है;
(ख) यदि हां, तो वर्तमान वित्त वर्ष के लिए सीसीआई को आवंटित निधि पर किसी प्रकार के अतिक्रामक प्रभाव से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और क्या इसका कुशल प्रचालन सुनिश्चित करने हेतु अतिरिक्त वित्तपोषण अथवा सहायता पर विचार किया जाएगा;
(ग) सीसीआई और महानिदेशक कार्यालय हेतु व्यापक संवर्ग समीक्षा और पुनर्गठन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की समय-सीमा क्या है;
(घ) क्या इन परिवर्तनों का लंबित मामलों की संख्या के निपटान और समाधान पर प्रभाव पड़ेगा; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): सीसीआई के मौजूदा संसाधनों और मामलों की कार्य प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक की चल रही जांच के लिए कोई अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं होगी।

(ग), (घ) और (ड़): संवर्ग समीक्षा और पुनर्गठन प्रशासनिक आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर एक आवधिक प्रक्रिया है। तदनुसार, सीसीआई ने भर्ती नियमों में संशोधनों का मसौदा तैयार किया है और स्टेकहोल्डरों को इस पर लिखित टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया है। इस तरह की प्रशासनिक प्रक्रिया का उद्देश्य लंबित मामलों के त्वरित निपटान और समाधान को सुकर बनाना है।

*****